

Seat No. : \_\_\_\_\_

# SJ-138 (H)

September-2020

B.Com., Sem.-VI

CC-308 : Business Law

Time : 2 Hours]

[Max. Marks : 50

(Hindi Version)

- निर्देश : (1) खण्ड-I के सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।  
(2) खण्ड-I से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।  
(3) खण्ड-II में प्रश्न संख्या – 5 अनिवार्य है ।

## खण्ड – I

1. (A) “क्षतिपूर्ति करार (अनुबंध)” तथा “प्रतिभूति करार (अनुबंध)” के मध्य भिन्नता लिखिए । 10  
(B) बेईली के उत्तरदायित्व लिखिए । 10
2. (A) “निजी कंपनी” तथा “सार्वजनिक कंपनी” के मध्य भिन्नता लिखिए । 10  
(B) ‘संस्था का ज्ञापन-पत्र’ में निहित शर्तों (क्लॉज़) को समझाइए । 10
3. (A) ग्राहक की परिभाषा दीजिए । उसके अधिकार लिखिए । 10  
(B) जिला ग्राहक सुरक्षा परिषद् के संदर्भ में विस्तार से टिप्पणी लिखिए । 10
4. (A) “परक्राम्य लिखत” की परिभाषा देकर, उसकी लाक्षणिकता लिखिए । 10  
(B) वचन-पत्र की परिभाषा दीजिए । वचन-पत्र तथा विनिमय-पत्र के मध्य कोई पाँच भिन्नताएँ लिखिए । 10

## Section – II

5. निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखिए : (कोई पाँच)

10

- (1) प्रतिभूति संविदा लिखित ही होनी चाहिए ।
  - (2) प्रवर्तमान प्रतिभूति निरस्त नहीं हो सकती है ।
  - (3) ऐजेन्सी केवल व्यक्त नियोजन द्वारा ही निर्मित हो सकती है ।
  - (4) निजी कंपनी में कम-से-कम दो निदेशक होते हैं ।
  - (5) निदेशक कंपनी के ऐजेंट हैं ।
  - (6) कंपनी के अंतर्नियम में कंपनी के आंतरिक संचालन के नियम समाविष्ट होते हैं ।
  - (7) बिना प्रतिफल माल क्रेता व्यक्ति ग्राहक कहलाता है ।
  - (8) किरायेदार ग्राहक कहलाता है ।
  - (9) वचन-पत्र परक्राम्य लिखत है ।
  - (10) 'चेक' एक प्रकार का विनिमय-पत्र है ।
-